

## केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAX लेखा परीक्षा आयुक्तालय : AUDIT COMMISSIONERATE

केन्द्रीय शुल्क भवन :: एल बी स्टेडियम रोड :: बशीर बाग :: हैदराबाद - 500 004

<u>KENDRIYA SHULK BHAVAN: L.B.STADIUM ROAD:: BASHEERBAGH :: HYDERABAD-500 004</u>

फाइल सं. C.No.II/07/01/2015-CIU

दिनांक/ Dt.: 23.04.2015

## महत्वपूर्ण / समय बद्ध IMPORTANT / TIME-BOUND

विषय:- के.स.ई. - लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - लोक सेवकों द्वारा सम्पति व ऋण की घोषणा प्रस्तृत करना

Sub:-CIU-The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Submission of Declaration of Assets & Liabilities by Public Servants -Reg.

\*\*\*\*

कृपया विषय पर (i) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की फ़ाइल सं. 21/2/2014-C.S.I.(PR) दिनांक 31.07.2014 सहित जारी बोर्ड के पत्र फ़ाइल सं. A.28011/15/14-SO (Per/EC) दिनांक 20.08.2014 से परिचालित, भारत सरकार, वित विभाग, राजस्व मंत्रालय की फ़ाइल सं. A-50050/09/2012-Per/HQ से कार्यालय जापन दिनांक 14.08.2014 (ii) No.407/12/2014-AVD-IV(B) से जारी कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय जापन दिनांक 13.01.2015 एवं (iii) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की फ़ाइल सं 21/2/2014-CSI(PR) दिनांक 07.01.2015 को अग्रेषित करते हुए A-50050/09/2012-Per/HQ दिनांक 19.01.2015 से जारी राजस्व विभाग के कार्यालय जापन जिसमें अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के पहलुओं के उद्देश्य से पुनरीक्षित / संशोधित फॉर्म सं II और फॉर्म सं IV में समाहित वर्तमान निर्देशों का अवलोकन करें। सम्पति व ऋण की घोषणा में किए गए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित पहलु व उन विवरणियों को भरने की निर्धारित तिथि मार्गदर्शन व अनुपालना हेतु सभी अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

Please refer to the existing instructions on the subject contained in (i) the Board's letter F.No.A.28011/15/14-SO (Per/EC) dated 20.08.2014 which circulated the Office Memorandum dated 14.08.2014 issued from file No. A-50050/09/2012-Per/HQ by G.O.I., Ministry of Finance, Department of revenue along with the DoPT's F.No.21/2/2014-C.S.I.(PR) dated 31.07.2014, (ii) the DoPT's Office Memorandum dated 13.01.2015 issued in No.407/12/2014-AVD-IV(B) and (iii) the Office Memorandum of Department of Revenue issued from No.A-50050/09/2012-Per/HQ dated 19.01.2015 forwarding the DoPT's F.No.21/2/2014-CSI(PR) dated 07.01.2015 containing the revised/ modified Form No. II and Form No.IV for the purpose of various aspects of the provisions of the Act & the Rules. The following aspects with regard to the changes made in the Declaration of Assets & Liabilities and the due date(s) for filing these returns are hereby brought to the notice of all the officers for guidance and compliance.

a) सभी अधिकारियों को कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, नयी दिल्ली की दिनाँक 14.07.2014 की अधिसूचना में दिये गए फॉर्म । से IV में अपनी सम्पित और ऋण की घोषणा सिंहत वार्षिक आय व सूचना भरना आवश्यक है। यद्यपि यह नोट करें कि फॉर्म - II (चल सम्पित संबंधी अभिकथन) व फॉर्म IV (ऋण व जिम्मेदारियों संबंधी अभिकथन) के प्रारूप में बदलाव हुए हैं। संशोधित प्रारूप कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, नयी दिल्ली की गज़ट अधिसूचना दिनाँक 26.12.2014 में उपलब्ध है और इसे डी.ओ.पी.टी. की वेबसाइट से डाऊनलोड करें।

All the officers are required to furnish the information and annual returns containing the declaration of their assets and liabilities in Form-I to IV, as detailed in Notification dated 14.07.2014 of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (DOPT), New Delhi. However, it may be noted that there is a change in the format of Form-II (Statement regarding movable properties) and Form-IV (Statement regarding debts and liabilities). The revised formats are available in the Gazette Notification dated 26.12.2014 of the DoPT and the same may be downloaded from the DoPT website.

b) प्रथम विवरणी जमा करने की तिथि में एक परिवर्तन है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (01.08.2014 को) के तहत प्रथम विवरिणी 30.04.2015 को या उससे पहले भरी जानी चाहिए।

There is also a change in the due date for filing the first return. The first return under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (as on 01.08.2014) should now be filed on or before 30.04.2015.

c) लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत 31.03.2015 को समाप्त वर्ष की अगली वार्षिक विवरिणी 31.07.2015 को या उससे पहले भरी जानी चाहिए। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, नयी दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. F.No. 11013/3/2014-Estt. (A) दिनाँक 16.01.2015 व 17.02.2015, का संदर्भ देखें जिसे डी.ओ.पी.टी. की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

The next annual return under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, for the year ending 31.03.2015 should be filed on or before 31.07.2015. In this connection, reference is invited to the O.M.'s issued by the Department of Personnel & Training, New Delhi vide F.No. 11013/3/2014-Estt. (A) dated 16.01.2015 and 17.02.2015, which may be downloaded from the DOPT website.

- d) नोट किया जाए कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सं. 407/12/2014-AVD-IV-B से जारी कार्यालय जापन दिनांक 18.03.2015 इस संबंध में पुनरीक्षित तिथि व प्रारूप के विषय में नवीनतम स्थिति का संक्षेप विवरण प्रदान करता है It may be noted that the OM dated 18.03.2015 of the DoPT issued from No. 407/12/2014-AVD-IV-B succinctly details the latest position in this regard with revised dates and formats.
- 2. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, हैदराबाद के सभी ग्रुप 'ए' अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह पत्र अपने प्रभाराधीन कार्यरत सभी अधिकारियों को परिचालित करें। सभी अधिकारियों को अपनी घोषणाएँ निर्धारित तिथि के अंदर, के.स.ई. अनुभाग, मुख्यालय, हैदराबाद लेखा परिक्षा। आयुक्तालय, हैदराबाद को जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

All the Group 'A' Officers of the Audit Commissionerate, Central Excise and Service Tax, Hyderabad are requested to circulate this letter to all the officers working under their charge for compliance. All the officers may be directed to submit their declarations, well within the stipulated time period, in the CIU Section of Hqrs. Office, Audit Commissionerate, Hyderabad.

 मुख्यालय में कार्यरत समूह क,ख व ग, संवर्ग के सभी अधकरियों की घोषणाओं को ऊपर उल्लेखानुसार निर्धारित समयाविध में के.स.ई. अनुभाग, मुख्यालय, लेखा परीक्षा आयुक्तालय को अग्रेषित करें। All the officers of Group A, B & C cadre working in Hqrs. Office may forward their declarations as mentioned above, to the CIU Section, Hqrs., office, Audit Comm'rate within the stipulated time period.

. ( **जी वी कृष्णा राव** G V KRISHNA RAO) आयुक्त / COMMISSIONER

प्रति / To

अपर आयुक्त (का व सत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, हैदराबाद। The Additional Commissioner (P&V), Central Excise and Service Tax, Audit Commissionerate, Hyderabad.

सहायक / उप आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, मुख्यालय, सर्कल- ।/।।/।।।/।V/V / VI, एम आई एस -। व ॥ एवं सहा आयुक्त (का व सत) को आवश्यक कार्रवाई हेत्।

The Assistant / Deputy Commissioner, Central Excise and Service Tax, Hqrs. Office, Circle-I/II/III/IV/V / VI, MIS-I & II and AC(P&V) for necessary action.

मुख्य लेखा अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, मुख्यालय हैदराबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु । The Chief Accounts Officer, Central Excise and Service Tax, Hqrs. Office, Hyderabad for necessary action.